TWO-DAY WORKSHOP
on
WITCH-BRANDING AND THE LAW IN JHARKHAND

Co-organized by
NATIONAL UNIVERSITY OF STUDY AND RESEARCH IN LAW, RANCHI
&
SOAS, UNIVERSITY OF LONDON AND THE FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

February 13, 14 2020
NUSRL, Ranchi

Witchcraft allegations in Jharkhand are very common and have resulted in horrific acts of murder and torture, social ostracization, public humiliation, and the loss of property and livelihoods. Witch-craft allegations not only pose a threat to law and order, but more importantly, constitute and result in a serious violation of human rights.

The State of Jharkhand has enacted a law – the Daayan Pratha Pratished Adhiniyam, 2001, or the Prevention of Witch Identification Act, 2001 – which criminalises the act of naming someone a witch, as well as the use of practices to 'cure' a witch which results in the mental or physical torture of the purported witch. Anecdotal evidence suggests that cases under this law are registered only when the violence against the purported witch results in murder of, or grievous bodily harm to the individual.

Various community groups in Jharkhand have been working in and with communities in understanding and tackling witch-craft allegations. Additionally, community groups have also been helping people who have faced violence as a result of witch-craft allegations.

This workshop is an opportunity to understand the social contexts in which witch-branding occurs, what can be done to prevent witch-branding and the role of community groups, the state and the law, in the prevention of witch-branding and the violence that results from these accusations.
The workshop will aim to address the following issues

- Understanding the social contexts and processes through which witchcraft allegations emerge
- Sharing strategies to respond to the needs of people who have been accused of witchcraft
- Sharing strategies to support people who have suffered violence as a result of witchcraft allegations

- Responses of police, courts and other state institutions (such as health and education providers) to witchcraft allegations
- An evaluation of the Anti-Witch branding legislation
- Understanding the role of community organisations and institutions of the state in preventing witchcraft allegations, as well as supporting those who have been accused of witchcraft and those who have suffered violence as a result of these allegations.

Target Group:

- Judicial Officers, NGO organizations, Community groups, Police, officers of the relevant government departments, students

Invitation for papers

In addition to presentations by community groups, police officers, judicial officers and participants from other government departments, we would also like to invite papers that address issues pertaining to law and witch-branding, including the following issues

- The legal history of the regulation and criminalisation of witchcraft in India.
- A comparison between various witch-branding prevention legislations in India
- The efficacy of witch-branding laws and ways to improve them
- Social initiatives to prevent witch-branding

If you would like to present a paper, please submit an abstract of **no more than 500 words** by the **January 13, 2019**. Please submit your abstracts to both ms148@soas.ac.uk and csripr@nusrlranchi.ac.in.

Programme Coordinators:

Dr. K. Syamala
Associate Professor-cum-Director
(Research & Training)
NUSRL, Ranchi

Dr. Mayur Suresh
Lecturer in Law
SOAS, University of London

दो दिवसीय कार्य्शाला
झारखंड में डायन प्रथा और कानून
द्वारा सह-आयोजित
नेशनल यूनिवर्सि्टी ऑफ़ स्टडी एंड रिर्स्च इन लॉ, रांची; एस ओ ए एस, यूनिवर्सि्टी ऑफ़ लंदन; फैकल्टी ऑफ़ लॉ, यूनिवर्सि्टी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स
फरवरी 13-14, 2020
एन यू एस अर एल, रांची

डायन प्रथा के आरोप झारखंड में बहुत आम हैं और इनके फलस्वरूप हत्या एवं यातना, सामाजिक बहिष्कार, सार्व्जनिक अपमान, एवं संपत्ति एवं आजीविका के नुकसान जैसे भयानक कृत्य हुए हैं। डायन प्रथा के आरोप ने केवल विधि व्यवस्था के लिए ही एक खतरा नहीं हैं बल्कि इससे अधिक महत्वर्पूण बात यह है कि इनका परिणाम मानवअधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन होता है।

झारखंड राज्य ने एक कानून लागू किया है - डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 या प्रेवेंशन ऑफ विच आईडेंटिफिकेशन एक्ट, 2001 - जो किसी व्यक्ति को डायन नामित करने और किसी डायन के 'उपचार' के कृत्य को, जिसके फलस्वरूप तथाकथित डायन को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएँ मिलती हैं, गैर-कानूनी घोषित करता है। किस्सों के साक्ष्य यह इशारा करते हैं कि इस कानून के अंतर्गत मामले तभी र्द्ज किए जाते हैं जब तथाकथित डायन से हिंसा के परिणाम स्वरूप, व्यक्ति विशेष की हत्या होती है अथवा उसे गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचती है।

झारखंड के विभिन सामुदायिक समूह समुदायों में और उनके साथ मिल कर डायन प्रथा आरोपों को समझने और उनसे निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक समूह उन लोगों की मदद भी करते आ रहे हैं जिन्होंने डायन प्रथा आरोपों की वजह से हिंसा का सामना किया है।

यह कार्यशाला डायनों को चिन्हित करने के सामाजिक प्रसंगों, डायनों को चिन्हित करने को रोकने के लिए संभावित कार्यों, एवं डायन को चिन्हित करने एवं इसके परिणामस्वरूप होने वाली हिंसा को रोकने हेतु सामुदायिक समूहों, राज्य एवं विधि की भूमिका को समझने का एक अवसर है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य निम्न मुद्दों को संबोधित करना होगा

- उन सामाजिक संदर्भों एवं प्रक्रियाओं को समझना जिनके कारण डायन प्रथा के आरोप उत्पन्न होते हैं
- जिन लोगों पर डायन प्रथा का आरोप लगा है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ साझा करना
- जिन लोगों ने डायन प्रथा आरोपों के कारण हिंसा का सामना किया है उनकी सहायता करने के लिए रणनीतियाँ साझा करना
- डायन प्रथा आरोपों के प्रति पुलिस, कोर्ट एवं अन्य राजकीय संस्थानों (जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता) की प्रतिक्रिया
- डायन चिन्हिकरण विरोधी कानून का एक मूल्यांकन
- डायन आरोपीकरण को रोकने एवं जिन लोगों को डायन के रूप में चिन्हित किया गया है एवं जिन लोगों ने इन आरोपों के कारण हिंसा का सामना किया है उनकी सहायता हेतु सामुदायिक समूहों एवं राजकीय संस्थानों की भूमिका को समझना।

लक्षित समूह:

- न्यायिक अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह, पुलिस, उचित सरकारी विभागों के अधिकारी, छात्र।

शोध पत्रों हेतु आमंत्रण

सामुदायिक समूहों, पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य सरकारी विभागों के प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त, हम उन शोध पत्रों को भी आमंत्रित करते हैं जो विधि एवं डायन चिन्हिकरण सहित निम्न मुद्दों को संबोधित करते हों:

- भारत में डायन प्रथा के विनियमन एवं आरोपिकरण का विधिक इतिहास
- भारत में डायन चिन्हिकरण के विभिन्न क़ानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण
- डायन चिन्हिकरण क़ानूनों की प्रभावात्मकता एवं उनमें सुधार के उपाय
- डायन चिन्हिकरण को रोकने हेतु सामाजिक पहल

यदि आप एक शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो **13 जनवरी, 2019** तक **अधिकतम 500 शब्दों** का एक सारांश जमा करें। अपने सारांश को कृपया ms148@soas.ac.uk एवं csripr@nusrlranchi.ac.in दोनों पर भेजें।

कार्यक्रम समन्वयक:

डॉ के स्यामला सुरेश
एसोशिएट प्रोफेसर सह निदेशक
(शोध एवं प्रशिक्षण)
विश्वविद्यालय
एनयूएसआरएल, रांची

डॉ मयूर
विधि प्रवक्ता
एसओएएस, लंदन